

श्री राजनारायण : जिस चीज की वजह से इस मुल्क के दो टुकड़े हुए, जिस आदमी की वजह से इस मुल्क के दो टुकड़े हुए, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भी सी० आइ० ए० का पैसा इस काम में लगाया जा रहा है और देश में इस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है क्योंकि मेरे पास इसका सबूत है। (Interruption) मैं जानता हूँ कि आज भी सी० आइ० ए० यह कार्यवाही करवा रहा है और सारे देश में इस तरह का वातावरण पैदा करवा रहा है।

(Interruptions)

SHRI C. D. PANDE: What is he saying? Is he asking for clarifications. Sir?

श्री राजनारायण : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में जो पृथक्तावादी वातावरण पैदा हो गया है, उसको सी० आइ० ए० के एजेंटों ने चलाया है, अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा है और इस तरह से देश में पृथक्तावादी मनोवृत्ति फैल रही है।

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री राजनारायण : श्रीमान्, मेरा एक प्वायन्ट आफ आर्डर है। आप हमें यहाँ पर दबा सकते हैं मगर हमको देश में नहीं दबा सकते हैं। मैं आप से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ का वातावरण बिगाड़ा न जाय और इसके साथ ही साथ देश का वातावरण भी न बिगाड़ा जाय। मैं आप से अपील करता हूँ देश के नाम पर, जनता के नाम पर, मुल्क के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर कि सी० आइ० ए० का पैसा पृथक्तावादी आन्दोलन के लिए चलाया जा रहा है और इसकी जानकारी मंत्री जो को है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और अगर है, तो उसके खिलाफ वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: Next item.

257 RSD—5

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan): Sir, before you proceed to the next item, I would like to draw the attention of the Government to this issue. I have taken your permission.

MR. CHAIRMAN: But your party gentleman has already talked about it.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Not on this issue. You are moving on to another item. Before that, I wanted to draw the attention of the House to this thing about which I have talked to you in your Chamber.

MR. CHAIRMAN: Very well, after the whole thing is over. I will give you opportunity. Next item.

PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO UTTAR PRADESH

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Sir, I beg to lay on the Table—

(i) a copy of the Proclamation issued by the President on February 25, 1968, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh, under clause (3) of the said article.

(ii) a copy of the Order dated February 25, 1968, made by the President under sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation.

(iii) a copy of the Report of the Governor of Uttar Pradesh to the President recommending the issue of Proclamation.

[Placed in Library. See No. LT-276/68 for (i) to (iii).]

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I have some submissions to make. First of all, I will point out to the House and to you that the Government has shown disrespect

[Shri Bhupesh Gupta.]

in this matter in issuing the Proclamation when the House was not in session. Why did the Government not make any statement or take care to inform the House of the developments in Uttar Pradesh last week? It did not do so. It is quite clear the Government was waiting for the Parliament not to be in session on that particular day when the Proclamation was issued. Please understand this. I am making submissions to you. Normally, Sir, when Parliament is not in session, one can understand such Proclamations. But as far as Uttar Pradesh is concerned.. (Interruptions) Please listen. If you think I am saying something wrong, reject it. Sir, there was no occasion for us to discuss the matter at all. In the case of Bengal we had discussed it. Even in the case of Punjab some discussion took place prior to the promulgation of the Presidential Proclamation. But here in the case of Uttar Pradesh nothing of the kind has been done. Is it, Sir, proper for the Government, when Parliament is in session to treat Parliament over a matter like this in this way? Secondly, I should like to know—and this also adds to the enormities of the Government—why suddenly here it was not possible for the Governor to allow the Samyukta Vidhayak Dal Government to continue as a care-taker Government in order to hold mid-term elections? "Why in this particular case, the Assembly has been suspended only? The Assembly has been suspended and the Government has been dissolved. Is it because, Sir—it has been reported—that these steps have been taken in order to enable Mr. C. B. Gupta and the Congress Party to crawl back to power by political manipulations?

(Interruptions) I maintain it. I understand they have a majority on that side, I can be voted out. But why don't they at least have the patience to listen to us? Here in U.P. a Government was in power. They had, I think, internal troubles. But that Vidhayak Dal or its Government did

not at any time lose its majority in

the Assembly ----- (Interruption) Neither is it the contention of the Governor in his report that it had lost its majority. Therefore, Sir, was it not necessary to allow the Government to function and ask it to function as a care-taker Government? And in the event of their not solving the problem of leadership of the Vidhayak Dal in order to give stability, the Governor should have asked them to continue as care-taker Government till mid-term elections are held. But nothing of the kind has been done. If you carefully read the newspapers, you will find that grounds are being prepared to exploit certain internal differences of the ruling bloc in order to bring about a situation where Mr. C. B. Gupta can get some elbow-room for manipulation and other things, and then the Governor will revive the Assembly to enable a Congress Government under Mr. C. B. Gupta to function. It is a surprising thing that the Governor in his statement has made it clear that one purpose of making a recommendation of this kind is to enable certain parties other than the Vidhayak Dal to form a Government, which means the Congress Party. Sir, this is a fraud on the Constitution, and a disrespect to Parliament, and the entire thing is wrong. I would request you, Sir, as custodian of the House, to consider the two aspects of the matter separately—first, the aspect as to how they treated us in Parliament, and the second the larger question. Of course, I know your difficulties ----- (Interruption) I strongly protest against the behaviour of the Central Government in the manner in which they have dissolved the Government. The Constitution is being utilised to put back Mr. C. B. Gupta and his party, rejected by the people of U.P. in the last general elections into power.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chandra Shekhar.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) :
श्रीमान् . . .

MR. CHAIRMAN: I am coming to you after that.

श्री राजनारायण : श्रीमान्, एन पाइन्ट आफ आर्डर हमारा है। मैं आपके प्रति बहुत आदर रखता हूँ तो उस आदर का अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि आप हमारा अन्याय करें। हमने यह सवाल राज्य सभा में शुक्रवार को उठाया था। आज हम खड़े हैं, लेकिन दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं और आप हमसे कहते हैं : I am coming to you after that इसके माने क्या हैं ?

MR. CHAIRMAN: I do not want to stop you.

श्री राजनारायण : श्रीमान्, आप यहाँ की प्रोसीडिंग देख लीजिये। शुक्रवार के दिन ढाई बज हमने यह सवाल यहाँ पर उठा दिया था कि सेंट्रल हाल में कैबिनेट के डेसीजन के बारे में हमारी जानकारी हुई है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू होगा, सदन स्वर्गित होगा। उसको हमने लिख कर भी दे दिया था, लेकिन हम विचार ही न करें। माननीय चन्द्रशेखर जी बोलना चाहें तो बोल लें, मैं उनको सुनने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि चन्द्रशेखर जी को हम सुनें, चन्द्रशेखर जी हम को सुन, भूपेश गुप्त जी हम सुनें और हम को भूपेश गुप्त जी सुनें।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Yes, you please sit down now.

SHRI BHUPESH GUPTA: sir, on a point of order. Is it proper for the Home Minister, when important questions are being addressed to him, without even expressing regrets, to just walk out of the House, without even getting your permission?

MR. CHAIRMAN: Mr. Shukla is here.

SHRI BHUPESH GUPTA: That is hot the point, I am not underestimating the importance of Mr. Shukla. But in such matters, it is customary for the Minister in-charge in the

midst of a discussion which relates to him, to get up and seek your permission.

MR. CHAIRMAN: The Home Minister has got other business.

SHRI BHUPESH GUPTA: I know that. You may be generous. But all that I expect-----

MR. CHAIRMAN: The Minister of State is here.

SHRI BHUPESH GUPTA: He is going to answer these things?

श्री राजनारायण : चन्द्रशेखर जी के बाद आप हम को बुलायेंगे ?

MR. CHAIRMAN: I will allow you to have your say. Now, Mr. Chandra Shekhar.

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Ut-tar Pradesh): Mr. Chairman, Sir - :

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar): Mr-Chairman, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: What are these points of order? They are only points of disorder.

SHRI B. K. P. SINHA: Sir, my point of order is, the Proclamation has been laid on the Table of the House. The procedure is that after it is laid on the Table of the House, a date is fixed for the discussion of the Proclamation on its merits. It seems no rules of procedure, nothing operates in this House. The hon. Member was allowed to deliver a long speech opposing the Proclamation. When the Proclamation comes up for discussion, that will be the proper occasion to deliver his speech.

SHRI BHUPESH GUPTA: The hon. Member is making a speech on my speech. At least I made a speech on the Proclamation.

SHRI B. K. P. SINHA: No, my point of order is that this debate that I have started is in violation of the Rujjas.

[Shri B. K. P. Sinha] of Procedure of this House in violation of the practice and conventions of the House. But then, I may a so request you, Mr. Chairman, to make an exception because one hon. Member on that side has had his say. Therefore, one hon. Member on this side Shri Chandra Shekhar, may have his say, and there the debate should close. Otherwise, we will be discussing the Proclamation to-day.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Mr. Chairman, Sir I have certain points to be clarified by the hon. Minister of State for Home Affairs. Is it not a fact that the S. V. D. Government headed by Mr. Charan Singh was in difficulty for the last four months and the various constituents of the S.V.D. were publicly making accusations against each other? Not only that, many of the important constituents, including the party of the hon. Member, Mr. Rajnarain, are on record as saying "Don't accept Mr. Charan Singh as leader of the S.V.D." and the whole administration of U.P. was paralysed for four months. The Governor of U.P. was a passive onlooker to the whole drama. It culminated when the Chief Minister of U.P., Mr. Charan Singh, resigned. Even after his resignation, nine days were given by the Governor to the S.V.D. constituents to sort out their internal differences. Was it not a clear violation of the Constitution that the Home Ministry here and the Union Government showed an undue consideration to the S.V.D. Government only because they were afraid of these cries that would be raised in Parliament and also outside? May I know under what authority the Governor gave these nine days to Mr. Charan Singh and to the S.V.D. to sort out their internal differences when the important constituents of the S.V.D., namely, the S.S.P., the Jan Bangh and the C.P.I., openly asserted that their support was not for I.P.M. Mr. Charan Singh? Not only that, but Mr. Charan Singh in his letter to the Governor said I

that he resigns and a chance should be given to S.V.D. to elect its new leader and if S.V.D. is not able to elect any leader, then only mid-term elections should be held. I would like to emphasise this point, Mr. Chairman, for the benefit of my friend, Mr. Bhupesh Gupta, that the recommendation of Mr. Charan Singh was not categorical, was not final, and it is surprising that against all constitutional obligations the Governor of Uttar Pradesh gave an opportunity to S.V.D. for nine days to elect its leader and after eight days when some of the constituents elected one Mr. Ramchandra Vikal and went to the Governor to call upon him to invite Mr. Vikal to be the Chief Minister of U.P., two other constituents went to the Governor and said that they were not behind Mr. Ramchandra Vikal. (Interruption.)

श्री राजनारायण : दो कांस्टीट्यूट कोन ?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Under these circumstances my grievance is that the major Party, the Congress, should have been invited to form a Government in the State of Uttar Pradesh. But the Governor not only did not call the Leader of the Congress Party but he made a certain surprising recommendation to the Union Government. When the Leader of the Congress Party, Shri C. B. Gupta, said that he was in a position to form a Government, a stable Government, the Governor did not accede to the request of the Leader of the Congress Party but on the contrary the Legislature of U.P. was suspended. May I get a clear assurance from the hon. Minister of State that the Legislature of the State will not be kept in abeyance for long and that, this democratic institution will be revived and will be allowed to function effectively without any further delay? And also will the hon. Minister explain why the Governor did not invite the Leader of the Congress Party to form a Government, especially when the Congress Party Leader had asserted that there was a majority of the Congress Party in the

State Legislature? May I know from the hon. Minister whether it is not a fact that all the 9 constituents of SVD. have given 9 different statements and, in spite of that, the hon. Governor of Uttar Pradesh and the hon. Minister of the Union Government consider S-V.D. a political party capable of running a Government in Uttar Pradesh? It is against the interests of the State of Uttar Pradesh that for four months such a paralysed Government, such a Government infested with internal bickerings was allowed by the Governor and the Union Government. (Interruptions.)

SHRI C. D. PANDE (Uttar Pradesh): I am really sorry that, in spite of the point of order raised by Mr. Sinha, you have been allowing Members to speak on something which has not formally come before this House. That way I also want to speak, if you are allowing others to to speak. (Interruptions-)

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप लोगों को न रोकें, यह क्या तमाशा है ?

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra): Sir, the point is that if you want to allow this discussion to take place, then I would also like to participate in it and there are many Members who would like to participate. Either the discussion should be closed here or if you are going to allow Mr. Rajnarain to speak, I would also like to take part in it.

श्री राजनारायण : करिये, करिये ।

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI JAISU-KHLAL HATHI): The House will have ample opportunity to discuss all these matters when the Resolution comes before the House. (Interruptions.)

SHRI C. D. PANDE; Either nobody should be allowed to speak or we should also be allowed to speak.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, अन्याय न कीजिये, अब आप हमको पूरा सुनिये ।

(Interruptions) देखिये ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री मंड मुराहरी (उत्तर प्रदेश) :
लगता है कि यहाँ पर साजिश की गई है . . .

MR. CHAIRMAN: I would like to say something.

श्री राजनारायण : आप मेरे कह लेने के बाद कहियेगा । (Interruptions) ठीक है, आप कहिये ।

MR. CHAIRMAN: I would like to appeal to the hon. Members that they should wait for a detailed discussion; I will give enough time for everybody to speak. In fact, the matter was raised by Mr. Bhupesh Gupta and afterwards . . .

(Interruptions)

श्री राजनारायण : आपने हमको वचन दिया । चेयरमैन को अपने वचन का आदर करना चाहिये। आपने कहा था कि राजनारायण तुमको समय मिलेगा । सवाल उठाया हमने, नोटिस दिया हमने, ध्यान आकर्षण दिया हमने ।

MR. CHAIRMAN: I did promise Mr. Rajnarain to say something. I will allow him to say something for just two minutes-

(Interruptions)

श्री राजनारायण : मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ और विशेषकर चन्द्रशेखर जी से . . .

(Interruptions)

SHRI M. P. SHUKLA (Uttar Pradesh): I also may be permitted to speak, if that is so. Against the Rules of Procedure of the House we shall not be prepared to hear Mr. Rajnarain.

(Interruptions)

श्री राजनारायण : यह सदन की शोभा है, यह संसदीय शोभा है ।

SHRI M. P. SHUKLA: V/e shall not hear anybody against the rules of the House-Rajnarain or Bhupesh Gupta, let them understand that they are subject to the Rules of Procedure of the House- (Interruption;.)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, THE DEPUTY CHAIR-MAN in the Chair.

श्री राजनारायण : माननीया, . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have been informed by the Chairman that I should permit a few more to seek clarifications on the Proclamation, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : माननीय, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सदन सेशन में है और शुक्रवार को हमने इसी सदन में आकर कहा था कि मुझे अभी अभी पता चला है कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को स्थगित किया जाय और उस समय हमने यह भी कहा था कि अगर यह बात सत्य हो तो घर मंत्री यहाँ पर यह कहें कि यह बात असत्य नहीं है। तो उस समय यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई। कैबिनेट में क्या मंत्रणा हुई उसकी जानकारी शुक्रवार को हमें हो गई। अब यह कैबिनेट के लोगों पर है कि वह बतायें या सोचें कि यह लोकेंज कैसे हुआ, यह हम लोगों को जानकारी कैसे हुई, या कांग्रेस पार्टी के लोग उसको सभल लें, मगर उस वक्त यह बात छिपाई गई। शनिवार बीता, इतवार आया और सोमवार को भी छुट्टी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउस सेशन में हो, इतना अहम फैसला लिया जा रहा हो अपने देश के सब से बड़े राज्य के बारे में, वहाँ की विधान सभा स्थगित हो रही हो, और इतवार के दिन चुपके-चुपके राष्ट्रपति

शासन लागू कर दिया जाय, ऐसी कोई नज़ीर है दुनिया में, किसी डेमोक्रेसी में, किसी जनतंत्र में, कि जब हाउस सेशन में हो तो छुट्टी के दिन राष्ट्रपति के शासन का प्रोक्लेमेशन हुआ हो और आन्तरिक मामलों में हुआ हो। हाँ, अगर कहीं कोई विशेष ढंग की स्थिति, इमरजेंसी वगैरह की, होती, कोई विदेशी शक्ति हमलावर हो गई होती, ऐसी कोई स्थिति होती तो मेरी समझ में आ सकता था कि उसमें छुट्टी वगैरह की कोई बात नहीं।

तो मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे सिंह साहब हैं, श्री शुक्ल जी हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनकी बात तो हम खूब अच्छी तरह से समझते रहते हैं, उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक नज़ीर बतायें। कैबिनेट के फैसले की जानकारी एक गैरकांग्रेसी पार्टी के सदस्य के द्वारा हुई ही मेरे ऐसे एक मेम्बर के द्वारा हुई हो और वही बात दो दिन बाद सत्य साबित हुई।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : इसके लिये मेम्बर की प्रशंसा है।

श्री राजनारायण : श्री चन्द्रशेखर जी यहाँ हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बात में चन्द्र शेखर जी और हम दोनों सहमत हैं। राष्ट्रपति के शासन को निन्दा चन्द्र शेखर जी ने भी की। चन्द्र शेखर जी ने भी यही कहा कि राज्यपाल को यह सिद्धारिण नहीं करनी चाहिये थी कि सदन को स्थगित कर देना चाहिये। जहाँ तक राज्यपाल को रफ्त को बात है, राष्ट्रपति के शासन की बात है वहाँ पर चन्द्र शेखर जी भी निन्दा कर रहे हैं, हम भी निन्दा कर रहे हैं, मगर हमारे में और चन्द्र शेखर जी में फर्क क्या है। हमारा कहना है, माननीया, इसको भी कोई नज़ीर ढूँढी जाय—पहली अप्रैल, 1967 को श्री चंद्र मानु जी गुप्त ने कांग्रेस दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया, श्री चरण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 17 तारीख को श्री चरण सिंह जी ने

इस्तीफा दे दिया, उनका स्तीफा भी राज्यपाल ने कबल कर लिया और अब न तो चन्द्रभानु जी की बात रह गई और न चरण सिंह जी की बात रह गई है और संविद ने शुद्ध रूप में रामचन्द्र विकल को अपना नेता चुना, मगर चन्द्रभानु जी या चरण सिंह जी जिसकी भी प्रेरणा से यह काम हुआ हो कुछ लोगों से कहलवाया गया कि नहीं, रामचन्द्र विकल नेता नहीं हैं। किस दल ने कहा, किस दल के नेता ने कहा? माननीय, श्री दिलीप सिंह जी यहां विराजमान हैं। माननीय विजो हो सिंह जी ने कहा कि रामचन्द्र विकल को नेता चुना गया है और मैं आपके जरिये माननीया इस सदन के सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि 22 जनवरी को मैं वहां उपस्थित था मेरी उपस्थिति में संविद की समन्वय समिति ने प्रस्ताव पास किया था कि चौधरी चरण सिंह जी चूंकि कार्यक्रम पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसलिये या तो वह कार्यक्रम पूरा करें या फिर हटें या सभी घटकों को एक राय का करें वनाई कि रामचन्द्र विकल हमारे गुरु के संविद के नेता थे इसलिये रामचन्द्र विकल हमारे नेता होंगे। रामचन्द्र विकल नेता हैं संविद के यह 22 जनवरी सन् 1968 के प्रस्ताव से हैं और उसमें जनसंघ के नेता का हस्ताक्षर है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का हस्ताक्षर है प्रगति के नेता का हस्ताक्षर है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : इन नेताओं के पीछे उनके अनुयायी नहीं हैं। उनके अनुयायियों ने इसे नहीं माना है और जबरदस्ती उनको बांधने के लिये कुत्तेबांध कर रहे हैं।

श्री राजनारायण : हल्ला मत करिये। फिर तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के पीछे महावीर प्रसाद शुक्ल नहीं हैं या इसी तरह से कहा जा सकता है कि चन्द्रभानु जी के पीछे चन्द्रशेखर जी नहीं हैं। जरा समझ कर बोलें। तो उनको भी जाना होगा आपके कहने से।

माननीया इसलिये मैं निहायत श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूं कि वहां के राज्यपाल ने असंतोषीय काम किया है, अजनतंत्री काम किया है और संविधान की महिमा को गिराया है यह स्पष्ट करके कि वहां पर कोई सरकार चल नहीं सकती। मैं जानना चाहता हूं कि राज्यपाल के पास क्या कसौटी थी? राज्यपाल ने श्री रामचन्द्र विकल को क्यों नहीं बुलाया? अगर रामचन्द्र विकल को बुलाते, सदन बैठता और उनका बहुमत नहीं होता, सदन उनको ठुकरा देता तो वह इस्तीफा दे देते। फिर राज्यपाल जिसका बहुमत होता उसको बुलाते या जो जैसा होता वैसा करते। हमारे मित्र चन्द्र शेखर जी इस बात को जरा महसूस करें कि जो गलती बंगाल में हुई, जो गलती बिहार में हुई, उससे भी बड़ी गलती उत्तर प्रदेश में हो गई और वह उत्तर प्रदेश के गैर-कांग्रेसी दलों की क्षमता और उनकी सूझ-बूझ की तारीफ करें कि अभी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बवंडर नहीं मचा है। लोग इसलिये चुप बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि केन्द्र के नेताओं के दिमाग में कोई बात माफ आये और वह फिर राज्यपाल को यह कहे कि रामचन्द्र विकल को नेता बनाया है उनको बुलाइये।

एक बात माननीया हम और आपके जरिये कहना चाहेंगे। श्री चन्द्र शेखर, श्री धारिया जी, प्रजुन अरोड़ा जी या उनके विचार के जो लोग सरकारी पक्ष में हैं वह एक बात की तारीफ तो करें कि संविद के विभिन्न घटक संविद की सरकार से कह रहे हैं कि जिस ग्यूनतम कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हमने सरकार बनाई उसको पूरा करो और अगर नहीं पूरा करते हो तो हटो। यह कोई सामूली बात है। अगर चन्द्र शेखर जी में यह हिम्मत आ जाय कि श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी से कहें कि तुम इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये प्रधान मंत्री बनाई गई हो उसे पूरा करो इसको तुमने पूरा नहीं किया, हटो। अगर यह क्षमता आ जाय, यह कोशल आ

[श्री राजनारायण]

जाय तो आज कांग्रेस की भी बहुत सी बुराइयां दूर हो जायें।

श्रीर माननीया मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूँ कि यह सही है कि संसोपा वह पार्टी है जिसने बहुत ही सफाई से कहा कि हम सरकार में नहीं रहेंगे, हम अपने लोगों को सरकार से हटाते हैं क्योंकि चरण सिंह जी की सरकार ने सवा छः एकड़ का लगान माफ नहीं किया बायदा करने के बाद इन्होंने शिक्षा-संस्थाओं में बिना अधिकारियों की अनुमति के पुलिस का प्रयोग करा दिया, इन्होंने हरिजनों के लिये मकान नहीं बनाये, इन्होंने भूमिहीनों को जमीन बांटने का कार्यक्रम पूरा नहीं किया, इन्होंने राज्य-कर्मचारियों को पी० डी० ए० के अन्तर्गत मिरफतार किया और उनको राहत देने के लिये कार्यवाही नहीं की इन्होंने बनारस पेलीकांड की इक्वायरी नहीं कराई। ये नमाम चार्ज संसोपा के घटकों के द्वारा संविद की सरकार के . . .

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : यह सब यहां कैसे आता है यह सब एकदम इरिलेवेंट है।

श्री राजनारायण : यह रिलेवेंट है।

उपसभापति : समय का तो ख्याल कीजिये।

श्री राजनारायण : हम घड़ी देख रहे हैं हमारी आंख हमेशा घड़ी पर है। अभी दो मिनट हमारा बाकी है। संविद के घटकों ने संविद की सरकार को मजबूर किया कि तुम इन बायदों को पूरा करो। हमारी रणनीति की तीन ढालें हैं, तीन तीर थे . . .

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : और आपने संविद सरकार को तोड़ दिया तो फिर क्यों पछताते हो . . .

श्री राजनारायण : कोई पछतावा नहीं है। चरण सिंह की सरकार में बहुमत हो तो चरण सिंह हों, वहां संविद की सरकार का

बहुमत है। लेकिन जब रामचन्द्र विकल को चुना गया तो रामचन्द्र विकल को बुलाया जाना चाहिये, फौरन बुलाया जाना चाहिये। अगर रामचन्द्र विकल को वहां बहुमत नहीं हो तो अपने आप दुनिया की आंखों में यह चीज साफ हो जायेगी, रामचन्द्र जी हट जायेंगे। माननीया, मैं छुपाता नहीं—हमारी नीति है गैर-कांग्रेसी सरकार बनाओ, फिर उससे कार्यक्रम पूरा कराओ, कार्यक्रम पूरा न करें तो गिराओ। तीन हैं (Time bell ring) गैर-कांग्रेसी सरकार बनाओ, न्यूनतम कार्यक्रम को पूरा कराओ और न पूरा करो तो पहली गैर-कांग्रेसी सरकार को गिरा करके दूसरी गैर-कांग्रेसी सरकार बनाओ। यह गैर-कांग्रेसी सरकार बनेगी। चन्द्रभानु गुप्त नहीं आ सकता।

(Interruptions)

एक मिनट और। चन्द्रशेखर को बेचारे को यह लासव है क्योंकि चन्द्रभानु गुप्त ने एक पुचारा छोड़ दिया कि मैं तीन ही आदमियों की कैबिनेट बनाऊंगा। एक मैं रहूंगा, एक कमलापति त्रिपाठी और एक जरा नवयुवकों में से चन्द्रशेखर रहेगा। इसलिये मेरा निवेदन है एक वाक्य में अगर केन्द्र की सरकार या राष्ट्रपति महोदय या घर मंत्री जी राज्यपाल को मजबूर नहीं करते कि रामचन्द्र विकल को नेता बनाओ, मुख्य मंत्री पद की शपथ दिलाओ तो आप संविधान की और जनतंत्र की हत्या करेंगे और राज्य का वातावरण क्षुब्ध होगा।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : यह प्रश्न पार्टी का इतना नहीं है जितना प्रदेश का है। मैं पार्टी का भी हूँ और मुझे उत्तर प्रदेश का भी अनुभव है इसलिये मुझे भी मौका दिया जाय।

श्री राजनारायण : माननीया, इनको उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है।

श्री भूपेश गुप्त : उत्तर प्रदेश ने तीन तीन प्राइम मिनिस्टर दे दिये। और क्या चाहिये ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Banka Behary Das. Please be very brief.

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa): Madam Deputy Chairman, I am taking strong exception to the report of the Governor in which he has stated certain facts to bring about this President's rule in the State. I am not concerned here about the quarrels between the S.V.D. and the Congress Party. The Congress Party may allege that the S.V.D. could not produce a leader in proper time. We can allege also that they created conditions in the S.V.D. in which the S.V.D. was put to difficulty. But I am not going into those facts whatever might be the facts.

SHRI M. P. SHUKLA: There is Mr. Rajnarain who has confessed that he was responsible for creating such a situation.

SHRI BANKA BEHARY DAS: That it why I am saying this House is not concerned about all that where we may be concerned, or you as Congress Party may be concerned. But we are all concerned about one aspect of the matter, that which is mentioned in the Governor's report. I now ask the Home Minister and the Congress Benches also whether the reasons that he has given seeking President's rule in that State after suspending the Assembly are bona fide or not. Here I am particularly drawing the attention of the Members here and the hon. Home Minister to a portion in that report of the Governor in which he has said that he is allowing this suspension to continue only to see that a reorientation of political affiliations takes place so that a stable Ministry comes into being. I am taking strong exception to this- I know he can act according to the Constitution of the country if he thinks that the Constitution has failed and article 356 j should come into existence in that State. We are not concerned so much about it just now; immediately I am more concerned about this fact whether the Governor is competent to utilise his political motives for what-

ever purpose it might have been. I may allege here that it is only for the purpose of bringing back Mr. C. B. Gupta to power. Somebody else may say that this is not correct. So I am more concerned with this fact: Is the Governor competent enough to say that he can keep the Assembly in suspension and see if a reorientation of political affiliations takes place in the meantime so that a stable Ministry can come into being? It is only placing a premium on defections.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : मैडम, सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू करने का फैसला सदन को अंधेरे में रख कर किया है। जैसा कि समाचार-पत्रों में आया है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय एक दिन के लिये अजमेर गये हुए थे इसलिये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का सवाल एक दिन के लिये ठहरा रहा। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ सदन मौजूद है, दोनों सदनों का अधिवेशन चल रहा है तो सदन में ही इस बात को रखने के लिये सरकार क्यों तैयार नहीं हुई और यह फैसला सदन की पीठ के पीछे लेकर सदन का उसने एक बहुत बड़ा अपमान किया है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो संयुक्त विधायक दल बना हुआ है . . .

श्री सी० डी० पांडे : नहीं है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : . . . जिसका बहुमत कहने से बात बिगड़ती नहीं—मैं यह है आपके पूछना चाहता हूँ कि क्या संयुक्त विधायक दल की ताकत में, जितनी कि चरण सिंह जी के इस्तीफा देते समय थी, क्या किसी भी प्रकार से कोई कमी आई है ?

श्री चन्द्र शेखर : जी हाँ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : किसी भी सदस्य ने संयुक्त विधायक दल से इस्तीफा देकर . . .

(Interruptions)

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

मैं यह कहना चाहता हूँ आप सरमाइसेज पर चलना चाहते हैं...

SHRI CHANDRA SHEKHAR: No, Shri Charan Singh has given a written document to Government.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं आपके सामने एक पौण्ड्र कट रहा हूँ ।

(Interruptions.)

श्री राजनारायण : पञ्चोस कांग्रेस के लोगों ने बिध कर दिया है कि वे रामचन्द्र विकल के साथ आ रहे हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Rajnarain.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : I am not yielding, Madam. मेरा यह कहना है कि संयुक्त विधायक दल एक बहुमत वाला दल था । उस दल में मे एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला है । किसी ने भी उस संयुक्त विधायक दल को नहीं छोड़ा ।

SHRI CHANDRA SHEKHAR: The S.V.D. was a united front of various parties that fell out later. How can the cause of such a S.V.D. be espoused from this forum?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : जो भी हो उसको रिकग्नाइज किया है । Am I not allowed to develop my arguments ?

श्री चरण सिंह संयुक्त विधायक दल के लीडर थे और इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री । अब किसी भी कारण से हो उन्होंने मुख्य मंत्री पद छोड़ा परन्तु मुख्य मंत्री पद छोड़ने का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि संयुक्त विधायक दल के बहुमत की समाप्ति हो गई । श्री चरण सिंह के इस्तीफा देने के बाद भी संयुक्त विधायक दल की संख्या में संयुक्त विधायक दल की मैजोरिटी में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा । श्री चरण सिंह के इस्तीफा देने के बाद संयुक्त विधायक दल ने

इसमें कोई सन्देह नहीं दोबारा फिर श्री चरण सिंह को लीडर चुना था । परन्तु श्री चरण सिंह के वह जिम्मेदारी को वहन करने की स्वीकृति न होने के कारण संयुक्त विधायक दल ने विधिवत अपना एक दूसरा नेता चुना है । संयुक्त विधायक दल वहाँ का बहुमत में राजनैतिक दल है और उसके द्वारा चुने हुए नेता को जिसको बहुमत प्राप्त है, वहाँ के गवर्नर ने, इस सरकार ने अपनी सरकार बनाने देने का मौका नहीं दे कर उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति का शासन लागू करने का फैसला किया है वह जनसंख्येय सिद्धान्तों के खिलाफ है । उसने जनसंख्येय परम्परा का हनन किया है और इस सरकार ने गवर्नर की निष्कारिण पर जो वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया है वह बिल्कुल सलत कदम उठाया है और इस सदन को भी उसने विश्वास में नहीं लिया ।

SHRI C. D. PANDE: The whole question has to be looked at against the background <as it existed for the last four months. Mr. Charan Singh was the leader of the so-called S.V.D.

श्री राजनारायण : माननीया, क्या इनको राज्य गभा का टिकट मिल रहा है ?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आपके "मो काल्ड" का क्या मतलब है ?

SHRI C. D. PANDE: What does it matter? (Interruptions) I am not going to yield. I shall explain why I called it the so-called S.V.D. There were eight constituents. It was a conglomeration of warring groups. Being in the Government they were working, against the Government and . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHAN-DARI: You also work against the Government.

SHRI C. D. PANDE: And Mr. Charan Singh complained in public and in the press that his Government

was not running as it should, that I there was no longer any basis for the S.V.D. to function, that it was suffering from cancer—these are his Words—that the Dal was suffering from cancer and that the Ministers were strengthening themselves and their parties at the cost of public ! good and that there were certain parties within the Dal that were defying Government's orders. *(Interruptions)* I will tell you. Chaudhuri Charan Singh felt that his Government could not go on functioning, as a team in such circumstances. It was also a fact that Mr Rajnarain was incessantly saying that his party was not any longer supporting Chaudhuri Charan Singh as the leader of the S.V.D. But now he says that the United Front still existed there and Mr. Bhandari adds that Mr. Charan Singh is still the leader of that Dal.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Maybe there are some differences.

SHRI C. D. PANDE: If he now says that

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. Let him continue.

SHRI C. D. PANDE: It is not a question of slight differences. The differences are of a fundamental nature and they are of such a fundamental nature that Shri Charan Singh felt that he would not be able to run the Government. If he does not want to run the Government, how can you force him to run the Government?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: We are not forcing anyone.

(Interruptions.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. Please do not interrupt. Let him conclude. Be brief, Mr. Pande.

SHRI C. D. PANDE: I know one Mr. Ramchandra Vikal was elected by a portion of the S.V.D. and the supporters of Shri Charan Singh said that he would not accept him. If you want to deny it you are at liberty to do so. But Shri Rajnarain cannot have it both ways. Shri Rajnarain is against Shri Charan Singh and there is one group which is against Shri Ramchandra Vikal. Do you think that the supporters of Shri Charan Singh will support Shri Ramchandra Vikal?

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do. This is not a debate now.

SHRI C. D. PANDE: As far as the question of a re-poll is concerned, the Governor has made a thorough survey through his private sources and he has found that not a single member of the whole Assembly is in favour of a re-poll. Even Shri Ramchandra Vikal is against it. Therefore, all these statements that they want a re-poll, that they do not want Governor's rule and so on; that is only for misleading the public. Shri Charan Singh felt he could not govern and Mr. Vikal is not the leader of the whole Party. Only half the Party supports him.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: How can you say that?

SHRI C. D. PANDE: I can say it

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do. Now Mr. Shukla. Please be brief.

श्री महाबोर प्रसाद शुक्ल : महोदया,
मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे
माननीय सदस्यों में से श्री राजनारायण जी
ने यहां पर जो प्रश्न उठाया कि संसद् के बैठते
हुए राष्ट्रपति का शासन छुट्टी के दिन लागू
नहीं किया जाना चाहिए या, उसके अन्वय
में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक इस
सदन में और इस देश में जब जब और जहाँ
कहीं भी राष्ट्रपति का शासन घोषित हुआ है

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

चाहे सदन बैठ रहा हो या न बैठा हो, न इस तरह की परम्परा रही है, न ही यह विधान रहा है कि सदन पहले गवर्नर की रिपोर्ट पर विचार या बहस करे और तब सरकार फैसला करे। संविधान के अन्दर यह व्यवस्था है कि यह बात सरकार और राष्ट्रपति के बीच की है कि गवर्नर की रिपोर्ट आने पर वह फैसला लें। संविधान में केवल एक ही व्यवस्था है और वह यह है कि सदन को शीघ्र से शीघ्र फैसला होने के बाद कि राष्ट्रपति का शासन किसी प्रदेश में लागू हो गया है, उसकी सूचना दे। 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने की घोषणा की गई थी और चूँकि उस दिन छट्टी थी, इस कारण सदन को इसकी सूचना नहीं दी जा सकी। आज सदन की बैठक हुई है, इसलिए आज उसे सूचना दे दी गई है। यही संविधान में एक बात इस सम्बन्ध में है।

दूसरी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में संविद की सरकार को भंग करने की जो बात कही गई है, तो उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि संविद की सरकार को भंग करने की जिम्मेदारी अगर किसी एक व्यक्ति पर है तो वह श्री राजनारायण पर है और किसी दल को है, तो वह दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है। इस दल को भी नहीं बल्कि उसके एक ग्रुप को है। क्योंकि उसके दल में भी दो ग्रुप हैं और वह दो हिस्सों में बंटी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी भी दो हिस्सों में बंटी हुई है। पी० एम० पी० भी दो हिस्सों में बंटी हुई है और जनसंघ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी के साथ नहीं हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : यह गलत बात है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : मैं बतला रहा हूँ और सही बात कह रहा हूँ। It is the truth and I see it as clearly as I see the sun in the sky. I can assert it.

SHRI SUNDAR SINGH BHAN-DARI:
You can assert a wrong thing.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Order, order. Please do not interrupt

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : महोदया, अगर ये हमें बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं, तो मैं मजबूर हूँ। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि संविद के जो नेतागण हैं उनकी बात को भी उनके अनयायी लोग नहीं मानते हैं। केवल 40 आदमियों ने श्री रामचन्द्र विकल को चुना था, तो कम्युनिस्ट पार्टी के श्री रमेश सिन्हा, पी० एम० पी० के सेक्रेटरी श्री रामचन्द्र शुक्ल, संसोध के श्री भारत सिंह आदि ने इस बात को डिसमिशन किया और गवर्नर को जाकर कहा कि वे श्री रामचन्द्र विकल को नेता नहीं मानते हैं। बी० के० डी० और इंडिपेंडेन्ट्स ने भी गवर्नर को लिखकर दिया कि वे भी श्री रामचन्द्र विकल को नेता नहीं मानते हैं। इस प्रकार संविद ने इन दोनों नेताओं में से, श्री चरण सिंह और श्री रामचन्द्र विकल में से किसी को अपना नेता नहीं माना। ऐसी स्थिति में यदि कोई पार्टी वहाँ पर दुर्ग सरकार नहीं बना सकती थी तो फिर गवर्नर के सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया था कि वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नर ने इस सम्बन्ध में कोई पक्षपात नहीं किया। और यदि कोई पक्षपात किया तो वह संविद के पक्ष में किया, विरोधी दलों के प्रति लोनियन्सी दिखाई और उनको पूरा मौका अपना नेता चुनने का दिया और राष्ट्रपति का शासन भी उन्हीं लोगों को मौका देने के लिये किया गया। जो लोग मैजोरिटी का दावा करते हैं, वे चाहें तो अभी भी इस बात को सिद्ध करे कि उनके साथ विधान सभा का बहुमत है। गवर्नर को पुनः उन्हें सरकार बनाने का मौका देने में कोई आपत्ति नहीं होगी और न किसी को इससे कोई गम होगा। अगर वह लोग अपना बहुमत बना कर सरकार नहीं बना

सकते तो फिर यहां रोवें नहीं। उत्तर प्रदेश में अन्स्टेबिल गवर्नमेंट देने की, अस्थिर सरकार बनाने की जिम्मेदारी उन ही विरोधी पार्टियों पर है जो यहां पर इस तरह की बातें कर रही हैं। राज्यपाल ने यहां पर राष्ट्रपति का अस्थायी शासन लागू करने का काम किया है, वह सर्वथा ठीक किया है और इसके लिये वह अनवरत और बधाई के पात्र हैं।

**MESSAGE FROM THE PRESIDENT
IN REPLY TO MOTION OF
THANKS**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the following message has been received from the President:

"I have received with great satisfaction the expression of thanks by the Members of the Rajya Sabha for the Address I delivered to both Houses of Parliament assembled together on the 12th February, 1968."

SHRI BHUPESH GUPTA: (West Bengal): I have an enquiry to make. When you sent to the President this Motion of Thanks, did you also send him the critical speeches made here?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. You have been long a Member of the Rajya Sabha, Mr Gupta. You please take your seat.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT (1966-67 AND ACCOUNTS OF THE ASHOKA HOTELS LTD., NEW DELHI AND RELATED PAPERS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): Madam, I beg to lay on the Table, under sub-section

(1) of section 619-A of the Companies Act, 1956, a copy each of the following papers:—

(i) Twelfth Annual Report and Accounts of the Ashoka Hotels Limited, New Delhi, for the year ended 31st March, 1967, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the Ashoka Hotels, Limited.

[Placed in Library. See No. LT-296/68 for (i) and (ii).]

THE INCOME-TAX (SIXTH AMENDMENT RULES, 1967

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Central Board of Direct Taxes Notification S.O. No. 4588, dated the 21st December, 1967, publishing the Income-Tax (Sixth Amendment) Rules, 1967, under section 296 of the Income Tax Act, 1961. [Placed in Library. See No. LT-216/68.]

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE AND INSURANCE) NOTIFICATIONS

SHRI JAGANNATH PAHADIA: Madam, I also beg to lay on the Table—

(a) A copy each of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(i) Four Notifications (G.S.R. Nos. 278-281), dated the 7th February, 1968.

(ii) Notification G.S.R. No. 320, dated the 17th February, 1968.

[Placed in Library. See No. LT-215/68 for (i) and (ii).]

(b) A copy each of two Notifications (G.S.R. Nos. 318 and 319), dated the 17th February, 1968 of the